



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण, 1947 (श०)

संख्या - 545 राँची, मंगलवार,

16 दिसम्बर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

5 दिसम्बर, 2025

संख्या-03/आरोप-11-01/2025-34206 (HRMS)--श्री अशोक कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-318/20), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग को लोहसिंघना थाना कांड सं0-235/24, दिनांक 27.12.2024 में दिनांक 10.02.2025 को न्यायिक हिरासत में जय प्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग भेजे जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0-29963(HRMS), दिनांक 15.04.2025 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 10.02.2025 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया। साथ ही, आदेश दिया गया कि हिरासत से मुक्त होने के बाद श्री कुमार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान देंगे ।

2. श्री कुमार द्वारा दिनांक 29.04.2025 को हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् दिनांक 30.04.2025 को विभाग में योगदान समर्पित करते हुए योगदान स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया ।

3. पुनः श्री कुमार द्वारा निलंबन से मुक्त करने संबंधी आवेदन विभाग में समर्पित किया गया। अपने आवेदन के साथ Cr. M.P. No. 1401 of 2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2025 को पारित आदेश तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा S.T. No. 172/2025 में दिनांक 22.07.2025 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए उल्लेख किया गया कि उनके विरुद्ध दर्ज लोहसिंघना थाना कांड सं0-235/24, दिनांक 27.12.2024 से संबंधित मामले में इनके द्वारा दायर Cr. M.P. No. 1401 of 2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2025 को पारित आदेश द्वारा सम्पूर्ण आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा भी वाद को quashed करते हुए इनसे संबंधित Proceeding dropped कर दिया गया है ।

श्री कुमार द्वारा आवेदन में यह भी अंकित है कि निलंबन के कारण ये आर्थिक एवं मानसिक कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। इनके बुजुर्ग माता-पिता एवं इनके दो बच्चे इन पर निर्भर हैं। निलंबन के कारण उनका भरण-पोषण एवं बच्चों की पढ़ाई-लिखाई एवं भरण-पोषण में दिक्कत हो रही है ।

4. अतः श्री कुमार से प्राप्त आवेदन एवं मामले के समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री कुमार द्वारा विभाग में योगदान दिये जाने की तिथि 30.04.2025 से इनका योगदान स्वीकृत करते हुए उक्त तिथि से इन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है ।

(ख) इनके निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ASHOK KUMAR (110053186516)	PERSONNEL ADMINISTRATIVE REFORMS AND RAJBHASHA DEPARTMENT	Personnel Administrative Reforms and Rajbhasha Department (RANCHI)	Under Suspension	श्री अशोक कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 318/20), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग, सम्प्रति- निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री कुमार द्वारा विभाग में योगदान दिये जाने की तिथि 30.04.2025 से इनका योगदान स्वीकृत करते हुए उक्त तिथि से इन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है।	30/04/2025	It will NOT be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
